कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-अनूपपुर (म.प्र.)
E-mail id -dmanuppur@gmail.com
Fax No.07659-222815

कोटेशन सूचना

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-84-03/2019/छः/31 दिनांक 18.06.2020 के अनुसार नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम जुड़वाने अथवा संशोदन कराने की अपील हेतु निम्नानुसार फ्लैक्स की छपाई कराया जाना है । उक्त कार्य के लिए स्थानीय बाजार से संबंधित फर्मस् को सूचित कर भावपत्र आमंत्रित किया जाना है । स्थानीय बाजार के रजिस्टर्ड फर्मों से ऑफलाईन भाव-पत्र कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-अनूपपुर के पक्ष में प्रदायकर्ता फर्मों से अथवा स्थानीय बाजार के अधिकृत फर्म से कोटेशन (भावपत्र) दिनांक 29.06.2020 को कार्यालयीन समय अपरान्ह 3.00 बजे तक बंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है । प्राप्त होने वाले कोटेशन दिनांक 29.06.2020 को समय 4.00 बजे उपस्थित कोटेशन प्रदाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला अनूपपुर (म.प्र.) अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जावेगी । यह संक्षिप्त कोटेशन सूचना है । अन्य विस्तृत शर्तें कोटेशन की सूचना के अनुसार रहेगी ।

क्र.	नगरीय निकाय एवं पंचायत	अनुमानित संख्या	साईज	दर
1	नगरपालिका परिषद् के लिए	80	5x8	
2	नगर परिषद्	30	3X8	
3	कार्यालय हेतु	10	3X5	

<u>कोटेशन की सामान्य शर्तें</u>

1. कोटेशन के सम्बन्ध में अधिक जानकारी दिनांक 28/06/2020 तक दोपहर 12.00 बजे तक ही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-अनूपपुर (म.प्र.) के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है ।
2. कोटेशन के उपरान्त निर्धारित दरों पर आवश्यक मात्रा में सामग्री प्रदाय करनी होगी ।
3. आवश्यकतानुसार उक्त सामग्री घटाई-बढ़ाई जा सकती है ।
4. शासन द्वारा निर्धारित समस्त करों का भुगतान फर्म को स्वयं करना होगा ।
5. फर्म के पास GST नम्बर होना आवश्यक है ।
6. सामग्री हेतु कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा ।
7. सामग्री निर्धारित स्थल पर मय लोडिंग /अनलोडिंग पहुंचाकर देना होगा ।
8. सशर्त एवं कटी फटी एवं अस्पष्ट कोटेशन स्वीकार नहीं की जावेगी ।
9. शासन द्वारा निर्धारित आयकर/GST /वैट टैक्स कर की कटौती देयकों से की जावेगी ।
10. कोटेशन सभी टैक्स सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है ।
11. सामग्री का क्रय भण्डार क्रय नियम के तहत ही किया जावेगा ।
12. विभाग में गठित क्रय समिति से निरीक्षण /अनुमोदन पश्चात ही आपूर्ति आदेश जारी किया जावेगा ।
13. कोटेशन स्वीकृत होने की स्थित पर प्रदायकर्ता की सामग्री का भौतिक एवं तकनीकी सत्यापन निरीक्षण कार्यालय में गठित समिति के द्वारा किये जाने का अधिकार रहेगा ।

(कलेक्टर एवं जिला निर्वा. अधि. द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर
एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

पृ.क्र./   291/स्था.निर्वा./2020/   अनूपपुर दिनांक 24 जून 2020.

प्रतिलिपिः-

1. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल ।
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
3. कमिश्नर, शहडोल संभाग शहडोल (म.प्र.) ।
4. जिला सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, जिला अनूपपुर की ओर वेबसाइट https://anuppur.nic.in में डाउनलोड करने हेतु ।
5. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, जन सम्पर्क कार्यालय अनूपपुर की ओर कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ ।
6. फर्म--की ओर आवश्यक कार्य़वाही हेतु ।
7. कार्यालयीन नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु ।

अपर कलेक्टर

एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला-अनूपपुर (म.प्र.)